

REGD, NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



267 - 20 Car - 20

HRCL Fi UJUN The Gazette of India

EXTRAORDINARY

নাল II-জেল্ড 3-- উপ- উদ্ভ (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राणिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

201 1014

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 26, 1999/वैशाख 6, 1921 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 26, 1999/VAISAKHA 6, 1921

the date of

सं. 196]

No. 1961

रेश मंत्रालय

(रेलचे बोर्ड)

अधिस्वना

जई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1999

सा.का.नि. 285(अ).---केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 तथा भारा 200 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 60 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त लोकायों का प्रयोग करते हुए भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निस्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :

1. (1) इन नियमीं का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण (तीसरा संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रयुत्त होंगे।

2. भारतीय रेल (चालू लाइन) साधारण त्रियम, 1976 के अध्याब 15 के नियम 8 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा तथा यथा-क्रमांकित उपनियम (1) के पश्चात निष्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :---

- (2) रेल-पथ से किसी पटरी (रेल) को हटाने से संबद्ध कार्य, उपनियम (3) में यथा उपबंधित के सिकाय, यातायात को जंद किए बिना नहीं किया जाएगा।
- (3) आपासिक मामलों में, ऐसे परिवालनों को सम्हालने वाला इंजीनियरी पदधारी, जो स्थाबी रेलपथ निरीक्षक, ग्रेड-III से कम की पंकित का न हो, सबसे पहले गाड़ी को रोकेगा तथा गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकने की आवश्यकता के बारे में लिखित ज्ञापन के माध्यम से सूचना देगा। इसके साथ ही इंजीनियरी पदधारी रेलपथ को बंद करने की आवश्यकता के बारे में स्टेशन मास्टर को एक संदेश भेजने की व्यवस्था करेगा और इसकी पुष्टि होने की लिखित सूचना प्राप्त करेगा। ऐसे आपातिक मामलों में ड्राइवर को सूचित करने तथा गाड़ी को रोक देने के परणात ही कार्य आएम।

[सं. 98/सेफ्टी(ए,एंड आर.)/19/4]

शांति नारायण, सदस्य यातायात तथा पदेन सचिव

- टिप्पणी :--- मूल नियम तारीख 21-7-1981 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नर्लिखित अधिसुचना सं. द्वारा संशोधित किए गए :---
 - 1. सा.का.मि. 320, सारीख 16-4-83
 - 2. सा.का.नि. 352, सारीख 30-4-83
- 1259 GU99

(†)

1.

- 3. सा.का.नि. 514(अ) तारीख 27-6-83
- 4. सा.मा.नि. 476(अ) तारीख 28-6-84
- 5. सा.का.नि. 245 तारीख 23-5-92
- सा.का. थि. 83 तारीख 17~2-96
- 7. सा.का.मि. 103 सारीख 23-5-98
- •8. सा.का.मि. 47 तार्थख 13-2-99, तथा
- 9. सा.का.मि. 213(अ) तारीख 18+3-99

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1999

G.S.R. 283(E),—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 60, read with section 198 and clause (a) of sub-section (2) of section 200, of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

(1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Third Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, in Chapter XV, rule 8 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so numbered, the following sub-rules shall be inserted, namely :---

- "(2) No work involving removal of any rail from the track shall be undertaken without traffic block, except as provided in sub-rule (3).
- (3) In emergent cases, the Engineering official not below the rank of Permanent Way Inspector Grade-III, undertaking such operations shall first bring the train to stop and advise the Driver of the train about the need to stop the train through a written Memorandum. The Engineering official shall simultaneously arrange to send a message to the Station Master for the need to block the track and obtain written confirmation of the same. In such emergent cases, work shall be commenced only after advising the Driver and bringing the train to a stop."

[No. 98/Safety (A&R)/19/4]

SHANTI NARAIN, Member Traffic, and Ex-Officio Secy.

Note :--- The principal rules were published vide notification number GSR 445(E), dated the 21st July, 1981 and subsequently amended by Notification number :---

- (1) GSR 320, dated the 16th April, 1983,
- (2) GSR 352, dated the 30th April, 1983,
- (3) GSR 514(E), dated the 27th June, 1983,
- (4) GSR 476(E), dated the 28th June, 1984,
- (5) GSR 245, dated the 23rd May, 1992,
- (6) GSR 83, dated the 17th February, 1996.
- (7) GSR 101, dated the 23rd May, 1998,
- (8) GSR 47, dated the 13th Feb., 1999, and
- (9) GSR 213(E), dated the 18th March, 1999.